BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024

IN THE MATTER OF:

CHAUDHARY YASHWANT SINGH …APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 09.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 16.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 03.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	
4.	COPY OF THE H2 CASE DT. 01.04.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF THE CASE NO. 143 OF 2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	

6.	**COPY OF THE H2 CASE DT. 04.01.2026 ANNXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5**	
7.	**COPIES OF THE PHOTOGRAPHS HAVE BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	
8.	**COPY OF THE RESTORATION PLAN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: **13.04.2026**

Place: NOIDA

1303

ATTESTED
Notary
Mirzapur

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 112 OF 2024

IN THE MATTER OF:
CHAUDHARY YASHWANT SINGH …..**APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. …….**RESPONDENT(S)**

FURTHER RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 6 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 09.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Rakesh Kumar……., aged about 43… years S/o Dr. Ram Lal……., presently posted as Divisional Forest Officer, Mirzapur….., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

NOTARIAL

NOTARIAL

NOTARY DISTT. MIRZAPUR (U.P.) INDIA

12.4.202

3. That

d:

P.K. Pandey Adv

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in the present matter, the Hon'ble Tribunal vide order dt. 09.10.2025 directed as under:

"2. In terms of the earlier directions, the DFO, Mirzapur has filed the affidavit dated 08.10.2025 disclosing the assessment of damage caused to the forest and forest property due to the encroachment made by the project proponent A.C.P toll plaza. It has been disclosed that the total area under pathway and temporary structure on the forest land is found to be 0.41 hectares. A vague term "resulting in absence of trees" has been used in the affidavit which was clarified by Counsel for the State of U.P that the same refers to loss of trees. The number and values of trees which have been illegally cut/loss in the process has been calculated as

Rs. 4,49,997/- in reference to 656 trees and the penalty amount has been calculated to be ten times of the value of the tree i.e. Rs. 44,99,970/-. 3. Learned Counsel appearing for the State of U.P. seeks time to file further affidavit disclosing the forest offence which has been registered against the persons responsible for illegal felling of trees, the status of the forest case and also the action which is proposed/taken for restoration of damaged forest."

I. COMPLIANCE TO DIRECTION REGARDING ASSESSMENT OF DAMAGE TO FOREST LAND

i. Constitution of Committee and Submission of Report

4. That an assessment has been conducted by a **3-Member Committee** constituted in compliance with directions issued vide **Letter No. 240/Mirzapur/10 (Writ) dated 16.07.2025** by the Chief Conservator of Forests, Mirzapur Region.

   A Copy of the letter dt. 16.07.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

ii. Assessment Methodology Adopted

5. That the assessment of damage/loss of trees in the affected forest area measuring 0.41 hectares has been carried out using the **Sample Plot Method**, which is a scientifically accepted forestry technique for estimation of vegetation density and composition.

ii. Details of Assessment Conducted

6. That under the said method, 04 sample plots of 0.0125 hectares were established within the affected area, and the species-wise composition along with their percentage occurrence was determined. Based on the derived percentages and considering the standard density of **1600 plants per hectare**, the estimated number of trees was calculated as follows:

0.41 hectares × 1600 trees per hectare = 656 trees (estimated)

7. That the term **"loss of trees"** used in the earlier affidavit refers to ecological loss or deprivation of potential tree cover, and not to cutting or illegal felling of 656 trees.

8. That the findings of the said Committee were duly forwarded by the office of the Divisional Forest Officer, Bhadohi (Gyanpur) vide **Letter No. 862/33-1/Gyanpur dated 03.10.2025**.

   A Copy of the letter dt. 03.10.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

II. COMPLIANCE TO DIRECTION REGARDING FOREST OFFENCE AND LEGAL ACTION

i. Proceedings under Indian Forest Act, 1927

9. That accordingly, an H2 case dt. 01.04.2024 against the Sanjeet Singh, S/o Late Gangadhar Singh, Assistant Manager, ACP Tollways Plaza Private Limited has been registered under **Section 26(1)(j) and Section 63(c)** of the Indian Forest Act, 1927. That the said case has been registered for the Encroachment on forest land and the unauthorized construction.

   The relevant Sections 26(1)(j) and Section 63(c) has been reproduced as under for ready reference:

   "26. Acts prohibited in such forests.

(1) Any person who

………….

(j)quarries stone, burns lime or charcoal, or collects, subjects to any manufacturing process, or removes, any forest-produce;"

………..

"63. Penalty for counterfeiting or defacing marks on trees and timber and for altering boundary-marks.

Whoever, with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to cause wrongful gain as defined in the Indian Penal Code (45 of 1860)….

(c) alters, moves, destroys or defaces any boundary-mark of any forest or waste-land to which the provisions of this Act are applied, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both."

In this matter, a charge sheet has been prepared and submitted before the Hon'ble Court of the **Additional Civil Judge, C.D., Court No. 1, Mirzapur**, where it is registered as **Case No. 143/2025** and is currently under trial.

A Copy of the H2 Case dt. 01.04.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

A Copy of the Case No. 143 of 2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

ii. <u>Proceedings under Forest (Conservation) Act, 1980</u>

10. That it is further submitted that a separate case under the **Forest (Conservation) Act, 1980** has also been registered as **H2 Case No. 19/Chunar/2025-26 dt. 04.01.2026 under Section 2(ii)Section 3(ii) of the Forest (Conservation) Act, 1980 for using forest land for construction without permission** which is currently **under investigation**. The relevant Section 2(ii) and Section 3(ii) has been reproduced herein for ready reference:

"2. Restriction on the dereservation of forests or use of forest land for non-forest purpose.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in a State, no State Government or other authority shall make, except with the prior approval of the Central Government, any order directing-

(ii) that any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose;"

"3. Constitution of Advisory Committee.

The Central Government may constitute a Committee consisting of such number of persons as h may deem fit to advise that Government with regard to-

(ii) any other matter connected with the conservation of forests which may be referred to h by the Central Government."

A Copy of the h2 Case dt. 04.01.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

11.That further the considering the recommendation of the 3-member Committee, the ecological loss caused due to illegal encroachment and damage to trees in the Reserved Forest Area, the penalty equivalent to ten times the estimated loss, i.e., **Rs.4,49,997x 10= Rs. 44,99,970** would be recovered from the Project Proponent in accordance of law.

I. <u>COMPLIANCE REGARDING RESTORATION OF DAMAGED FOREST AREA</u>

i. **<u>Proposed Restoration Plan</u>**

12.That in further compliance, it is most respectfully submitted that the **geo-tagged photographs of the site (Latifpur, Mirzapur)**, evidence the present ground condition of the area in question. A perusal of the said photographs clearly shows that the land has been subjected to **excavation activities**, resulting in disturbance of the natural forest land and displacement of topsoil. That the images depict **uneven terrain with excavated pits and loose soil heaps**, which are indicative of **unauthorized land use and physical alteration of forest land.**

Copies of the photographs have been annexed herewith as **ANNEXURE R-6.**

13. That the Forest Department has taken steps towards environmental restoration. A plantation programme has been planned for the year **2026–27** over an area of 15 hectares in the Belkhara–Latifpur compartment, which includes the entire 4 hectares of previously encroached land. That preparatory work such as advance soil operations has already been completed, and plantation is proposed to be undertaken during the upcoming monsoon season. This indicates an effort on the part of the department to restore ecological balance rather than merely pursue punitive action.

NOTARY
Distt. MIRZAPUR (U.P.) INDIA

Scanned with OKEN Scanner

14. That plantation activities shall be undertaken during the **ensuing monsoon season of 2026–27**, ensuring restoration of ecological balance and regeneration of forest cover.

A Copy of the restoration plan has been annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

15. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

P.C. Pandey

VERIFICATION

Verified at ....Mirzapur.......... on this 13th day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 15 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

P.C. Pandey

Solemnly affirmed before me by Sri...........
Deponant who indentifited by Sri...........
Clerk/or...........Advocate on...........
I have satisfied myself by examining the Deponant that he/she understands the contents of the affidavit and the contents read over and explained by me, Serial No. ... Time... Received...

Signature of the Notary

NOTARY INDIA Distt. MIRZAPUR (U.P.)

ANNEXURE R-1

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

पत्रांक– 940 /मीरजापुर/10रिट/दिनांक,मीरजापुर,जुलाई 16–,2025

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0– 112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम युनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 02.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या–4, जो निम्न प्रकार है:–

"......4. Alongwith the report, annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the forest department after removing the encroachment. In the map, Annexure A-6 (Page 1157),the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158 onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantity the value of damage in monetary terms."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.07.2025 के क्रम में मीरजापुर वन प्रभाग द्वारा खाली कराये गये 4.00 हे0 अतिक्रमण पर विपक्षी ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति के मात्राकरण एवं मूल्यांकन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:–

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	प्रभाग का नाम	
1	श्री विवेक यादव	प्रभागीय वनाधिकारी	भदोहीं वन प्रभाग	अध्यक्ष
2	श्री शेख मुअज्जम	उप प्रभागीय वनाधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य
3	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	क्षेत्रीय वन अधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य

उपरोक्त गठित समिति स्थलीय सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16/07

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 940 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1–श्री विवेक यादव, प्रभागीय वनाधिकारी, भदोहीं वन प्रभाग।

2–श्री शेख मुअज्जम, उप प्रभागीय वनाधिकारी (मीरजापुर) द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग।

3–श्री हिमांशु श्रीवास्तव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग।

16/07

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

क–दी आ0कार्य0 ...107/25

...17/25

ANNEXURE R-2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग, भदोही

पत्रांक– ४६२ /33–1/ज्ञानपुर दिनांक, अक्टूबर,०३ 2025

सेवा में ,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय – मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 नं0 112/2024 से संबंधित जांच आख्या।

संदर्भ – आपका कार्यालय पत्रांक 240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर– 112/2024 चौधरी यशवंत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश के कम में मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा खाली करायें गयें 4.00 हें0 भूमि अतिकमण पर विपक्षी ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में कियें गयें अतिकमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति के मात्राकरण व मूल्यांकन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया था।

क्र0सं0	नाम	पदनाम	प्रभाग का नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक यादव	प्रभागीय वनाधिकारी	भदोही वन प्रभाग	अध्यक्ष
2	श्री शेख मुअज्जम	उप प्रभागीय वनाधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य
3	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	क्षेत्रीय वन अधिकारी	मीरजापुर वन प्रभाग	सदस्य

उक्त आदेश के कम में गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 16.09.2025 को मौके का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षणोंपरान्त ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा वन क्षेत्र में कियें गयें अतिकमण के कारण वन एवं वन सम्पदा को हुई क्षति का मूल्यांकन कर क्षति की धनराशि व जांच रिपोर्ट आपकी सेवा में सलंग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हिमांशू श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग,

(शेख मुअज्जम)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(विवेक यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
भदोही वन प्रभाग, भदोही

Scanned with OKEN Scanner

जांच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2025 के बिन्दु संख्या–4 में निम्न आदेश दिया गया है–

"..........4. Alongwith the report, annexure A-5 has been enclosed disclosing that the possession of 4 hectares of land has been taken by the forest department after removing the encroachment- In the map, Annexure A-6 (Page 1157),the location of 4 hectares of land from which the encroachment has been removed has been shown. The District Magistrate, Mirzapur has also enclosed the photographs from page 1158 onwards showing the nature of encroachment and its removal. The said photographs reveal that some damage has been caused to the trees. Hence, the Respondent No. 6, Chief Conservator of Forest, Mirzapur is directed to ascertain the extent of damage suffered by the forest on account of the unauthorized encroachment and to quantity the value of damage in monetary terms."

उक्त आदेश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर ने अपने पत्र संख्या–240/मीरजापुर/10 रिट दिनांक 16.07.2025 द्वारा जांच समिति गठित की गयी। गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 12.09.2025 को चुनार रेंज के अर्न्तगत ए0सी0पी0 टोल प्लाजा द्वारा 4.00 हें0 वन भूमि पर पूर्व में अतिक्रमित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अ–पहुँच मार्ग के रूप में प्रयुक्त क्षेत्र

ब–वन क्षेत्र जिसे क्षति नही पहुँचाइ गयी

स–अतिक्रमित 4.00 हे0

ए0सी0पी0 टोल प्लाजा व वन क्षेत्र का नजरी नक्शा

निरीक्षण के उपरान्त कमेटी द्वारा अतिकमित क्षेत्र के अर्न्तगत यह पाया गया कि अधिकांश भाग में वन क्षेत्र को हॉनि नहीं पहुचाई गयी थी परन्तु उक्त भूमि में पहुच मार्ग व अस्थायी भवनों का निर्माण की गयी थी जिसके कारण वहॉं पर किसी प्रकार का वृक्ष नहीं पाया गया। उक्त पहुँच मार्ग व भवन के अर्न्तगत कुल क्षेत्रफल 0.41 हे0 पाया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस पर विभागीय कार्यवाही करते हुए रेंज केस संख्या 01/2024-25/चुनार, ए.सी.पी. टोलवेज के विरुद्ध अवैध अतिक्रमण के संबंध में इजरा किया गया है।

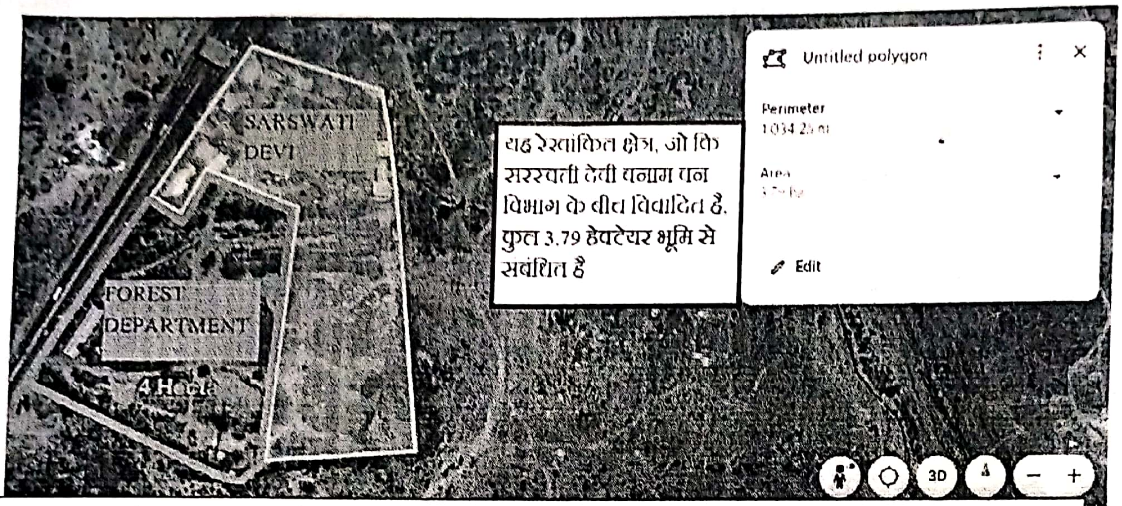

द0–वन विभाग द्वारा अतिक्रमण से अवमुक्त कराये गये क्षेत्र व इससे लगे हुए क्षेत्र की स्थिति जो वर्तमान में ए0सी0पी0 टोल प्लाजा के स्वामित्व में है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि पहुँच मार्ग व भवन व अन्य संरचनाओं के निर्माण के कारण वहॉं पर स्वभाविक रूप से वृक्षों को विद्यमान होना था परन्तु अतिकमण/निर्माण के कारण उक्त 0.41 हे0 क्षेत्र पर वनावरण नहीं पाया गया।

(A) वन क्षेत्रों में वनावरण/वृक्षों को हुई क्षति की गणना निम्न प्रकार की गयी।

अतिकमित 4.00 हे0 भूमि पर चार विभिन्न स्थानों पर 0.10 हे० के नमूना प्लॉट (sample plot) चयनित किए गए। इन प्लॉटों में पाई गई प्लाटवार प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार है। चार प्रमुख प्रजातियों की प्रचुरता एवं उनके व्यास वर्ग (Diameter Class) का अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया गया।

क्र0सं0	प्लाट संख्या	नमूना प्लॉट (sample plot) में पायी गयी प्रजातियों की संख्या							योग
		सागौन	शीशम	नीम	सिरस	अमरूद	देसीबबूल	ऑवला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	101	19	11	9	8	7	7	162
2	02	79	21	13	11	9	9	8	150
3	03	87	23	17	12	13	11	9	172
4	04	66	18	20	20	17	16	15	172
योग–		333	81	61	52	47	43	39	656

प्रतिनमूना प्लॉट (sample plot) औसतन पायी गयी प्रजातियों का विवरण :–

- सागौन–333 पौध प्रति नमूना प्लाट
- शीशम–81 पौध प्रति नमूना प्लाट
- नीम–61 पौध प्रति नमूना प्लाट
- सिरस–52 पौध प्रति नमूना प्लाट
- अमरूद–47 पौध प्रति नमूना प्लाट
- देसीबबूल–43 पौध प्रति नमूना प्लाट
- ऑवला–39 पौध प्रति नमून प्लाट

इसप्रकार 0.41 हे0 में औसतन 656 वृक्ष पायें गयें।

उपरोक्त नमूना प्लॉट (sample plot) में पायें गयें सागौन, शीशम, अमरूद, देसी बबूल, नीम, सीरस व ऑवला प्रजातियों का औसतन गर्त लगभग क्रमशः 10–20, 10–20, 20–30 व 10–20 व्यास श्रेणी के पायें गयें।

(B) उक्त अतिक्रमित क्षेत्रफल में हुई हानि का आगणन निम्न प्रकार किया गया है –

क्रम संख्या	वृक्ष प्रजाति	व्यास श्रेणी	अनुसूचितदर (रू0) प्रति पौध	औसतन वृक्षों की संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सागौन	10-20	903	333	300699
2	शीशम	10-20	903	81	73143
3	नीम	20-30	404	61	24644
4	सिरस	10-20	309	52	16068
5	अमरुद	10-20	267	47	12549
6	देसी बबूल	10-20	267	43	11481
7	ऑवला	10-20	267	39	10413
			योग–		449997

त्दनुसार कुल आर्थिक हानी हुई समस्त प्रजाति का दर = 449997 रुपये।

उपरोक्त समस्त दरें मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, मीरजापुर द्वारा पत्र संख्या 5078 / मीरजापुर / 37(अनुदर) दिनांक 18 जून 2025 के माध्यम से निर्गत दरों के अनुसार विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की अनुसूचित दरें अधिसूचित की गई हैं।

तदनुसार संबंधित वृक्ष प्रजाति की अनुसूचित दर का निर्धारण किया गया। उक्त वृक्ष प्रजातियों का आर्थिक मूल्यांकन वृक्षों की व्यास श्रेणी के आधार पर किया गया है।

आरक्षित वन क्षेत्र में वन अपराध कारित करतें हुयें वृक्षों को हुई क्षति के दृष्टिगत उक्त हानि का दस गुना अर्थ दण्ड अर्थात् रू0 4499970.00 अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त निरीक्षण रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हिमांशु श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग

(शेख मुअज्जम)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

(विवेक यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
भदोही वन प्रभाग, भदोही

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-3

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

फार्म सं० एच–2 204 R.C.N 01/चुनार/2024-25 रेंज केश सं० 1

वन विभाग......उत्तर प्रदेश.........परिधि (सर्किल)..मीरजापुर वृत्त..खण्ड (डिवीजन)....मीरजापुर......

भा० वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)च

अन्य अपराध......................प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०....01............दिनांक..1.4.2024..अधिक्षेत्र (रेंज)

3(2) वन संरक्षण अधिनियम 1980 व

चुनार काष्ठ डिपो

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान ए० सी०पी० टोल प्लाजा ग्राम बेलखरा थाना अहरौरा मीरजापुर

2. साक्षी का नाम श्री त्रिभुवन नाथ सिंह वन दरोगा व स्टाफ

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 1/4/2024 ग्राम- बेलखरा के आराजी संख्या 827 मी० में लगभग 4.00 हे० क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करना।

4. मूल्य

वन क्षेत्राधिकारी अ० व० को। प्र० व० अ० 1.4.24

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन जाँच जारी है

क्षेत्रीय वनाधिकारी

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय,

ए० सी०पी० टोल प्लाजा ग्राम बेलखरा तहसील-चुनार जि० मीरजापुर के सम्बन्ध में सपोजीत एप्लीकेशन न० 112/2024 (ओ.ए. नम्बर, 45/2024) के सम्बन्ध में उपरोक्त स्टाफ के साथ मौके कि जाँच के दौरान पाया गया कि A.C.P टोल प्लाजा द्वारा ग्राम बेलखरा तहसील-चुनार- जि० मीरजापुर के भा० व० अ० 1927 के धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति आराजी सं० 827 मी में पूर्व में अतिक्रमित 3.79 हे० के अतिरिक्त लगभग 4.00 हे० क्षेत्र में अवैध निर्माण कर कर्मचारी आवास स्टोर आदि का निर्माण करते हुए वन सीमा को भी नष्ट कर दिया है। उक्त के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित कर्मचारियों से पूछ ताछ के दौरान पता चला कि उक्त अवैध कब्जा ए० सी० पी टोल प्लाजा द्वारा किया गया है। ए० सी०पी० टोल प्लाजा द्वारा भा० व० अ० 1927 की धारा 26(1) च, एवं धारा 3(ग) तथा व० सं० अ० 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका 202/1995 टी. एन. गोदावर्मन थिरोमल पाद बनाम भारत संघ में पारित आदेश दि० 12/12/1996 की अवमानना है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित।

भवदीय
(राजेन्द्र प्रसाद)
वन दरोगा
अहरौरा बीट
1/4/2024

ANNEXURE R-4

दिनांक 12-2-2025

न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) क0नं0 1 मीरजापुर

मु0नं0 143 सन् 2025

अन्तर्गत धारा–

भारतीय वन (उ0प्र0 संशोधन 2000) अधि0 की धारा 5/26

व 63

थाना अहरौरा , मीरजापुर

प्रस्तुतकर्ता
प्रदीप प्रसाद (एड0)
अधिवक्ता
फ़ौ0 मीरजापुर

वन क्षेत्राधिकारी चुनार रेंज मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

........................वादी

बनाम

1. संजीत सिंह पुत्र स्व0 गंगाधर सिंह ग्राम मैगाई थाना मजूरखण्ड जिला चतरा (झारखण्ड) वर्तमान असिटेन्ट मैंनेजर एसीपी टोलवेज प्लाजा प्राइवेट लि0 ग्राम बेलखरा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

..........................प्रतिवादी

श्रीमान् जी,

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है:–

दफा:– 1 यह कि वादी वन क्षेत्राधिकारी के पद पर चुनार रेंज वन प्रभाग मीरजापुर में कार्यरत हैं और लोक सेवक होने के नाते उसे वाद पत्र प्रस्तुत का अधिकार हासिल हैं।

दफा:– 2 यह कि वन ग्राम बेलखरा रेंज चुनार की विज्ञप्ति भा0वन0 अधिनियम की धारा 20 दिनांक 14.01.1984 ई0 को घोषित की जा चुकी हैं। वन भूमि घोषित किये जाने के पश्चात् इसमें किसी भी प्रकार का खनन कटाई सफाई इत्यादि कार्य किया जाना वन अपराध हैं।

दफा:– 3 यह कि दिनांक 01.04.2024 को जब श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह वनदरोगा श्री त्रिभुवन नाथ सिंह वनदरोगा के साथ एसीपी टोलवेज प्लाजा प्राइवेट लि0 ग्राम बेलखरा के सम्बन्ध में माननीय एनजीटी नई दिल्ली संयोजित अप्लीकेशन नं0 112/2024 (गार्ड ए नं0 45/2024) के

सम्बन्ध में मौके की जांच में पाया की उपरोक्त एसीपी टोलवेज प्लाजा द्वारा 3.79 हे0 के अतिरिक्त लगभग 4 हे0 वन भूमि में अवैध रूप से कर्मचारी का आवास एवं स्टोर आदि का निर्माण किया गया है। बावर्दी वन कर्मियों द्वारा उक्त अवैध निर्माण के सम्बन्ध में एसीपी टोलवेज प्लाजा के असिटेन्ट मैनेजर उपरोक्त को मना किया गया तो वह नही माना तथा अपने कर्मचारियों को ललकार कर बावर्दी वन कर्मियों मौके की नपत भी नही करने दिया।

दफाः— 4 यह कि उक्त वाक्ये का एच 2 केस रें0के0सं0 01/2024–25/ चुनार रेंज घटना के दिन वन दरोगा के द्वारा इजरा किया गया जिसकी विभागीय जांच श्री राजकपूर सिंह वनदरोगा ने दिनांक 18.02.2025 को श्री राजेन्द्र प्रसाद वन दरोगा के साथ उनकी निशान देही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके किया गया। निरीक्षण में घटना को सत्य पाया घटनास्थल का विधिवत नजरी नक्शा मौके पर तैयार किया तथा नजरी नक्शें में घटना स्थल को लाल स्याही से प्रदर्शित किया। घटनास्थल का मिलान वन ग्राम बेलखरा रेंज चुनार के नक्शे से किया घटनास्थल उक्त ग्राम के आराजी संख्या 827 मि0 में स्थित मिला। जांच में अभियुक्त द्वारा कराये गये अवैध निर्माण कर्मचारियों के आवास एवं स्टोर आदि 3.79 हे0 के अतिरिक्त 4 हे0 वन भूमि में स्थित मिला। तथा मौके पर वन सीमा भी ध्वस्त मिली। जांच के समय अभियुक्त उपस्थित मिला। पूंछतांछ में उसने अपने जुर्म को फौरी तौर पर मौखिक रूप से स्वीकार किया किन्तु उनसे जब लिखित बयान देने के लिए कहा गया तो वह लिखित बयान देने को तैयार नही हुआ।

मौके की जांच एवं पूंछतांछ में यह पाया गया कि अभियुक्त ने जानबूझकर बदनीयती पूर्वक आरक्षित वन क्षेत्र बेलखरा के आराजी सं0 827 मि0 में वन सीमा को ध्वस्त करते हुए अवैध रूप से 3.79 हे0 के अतिरिक्त 4 हे0 वन भूमि में कर्मचारियों के आवास एवं स्टोर आदि का निर्माण कराकर भारतीय वन अधिनियम (उ0प्र0 संशोधन 2000) अधि0 की धारा 5/26 व 63के तहत दण्डनीय अपराध किया है।

दफा:— 5 यह कि विभागीय जांच एवं संलग्नक कागजातों के अवलोकन से मैं भली भांति संन्तुष्ट हूँ कि अभियुक्त ने उपरोक्त अवैध कृत्य करके भारतीय वन अधिनियम (उ0प्र0 संशोधन 2000) अधि0 की धारा 5/26 व 63 के तहत दण्डनीय अपराध किया है तथा दण्ड के भागी हैं।

प्रार्थना

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त को भारतीय वन अधिनियम (उ0प्र0 संशोधन 2000) अधि0 की धारा 5/26 व 63 के तहत तलब कर दण्डित करने की आज्ञा हो। न्याय होगा।

शिव प्रसाद दूबे (एड0)
फारेस्ट काउन्सिल
मीरजापुर

वन क्षेत्राधिकारी
चुनार रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
क्षेत्रीय वनाधिकारी
चुनार रेन्ज

1320

सं0 5924 14-2--20(47)-82--अधिसूचना संख्या 23(2)-95 14-ब-67, दिनांक 22 फरवरी, 19[illegible] द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) अधीन आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि [illegible] हो गयी है ;

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं किन्तु अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 14 जन[illegible] 1984 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं।

अनुसूची "क" ब्लाक रामपुर दबई (दक्षिणी)

जिला--मिर्जापुर, तहसील--चुनार, परगना--अहरौरा,

गाटा सं0 चकबन्दी नं0	गाटा सं0 साबिक नं0	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4
ग्राम--बैरसपुर			
		बी0 वि0बि0	
715-भाग	866 भाग	4 11 0	
716-क	867 1	5 5 0	
716-ग	867 3	0 5 0	
716-घ	867 4	0 12 0	
716-ङ	867 5	0 16 0	
716-च	867 6	2 3 0	
716-र	867 25	2 0 0	
714-ब	868 8 2	35 0 0	
714-घ	868 3	4 0 0	
736	869	762 17 0	
733-ई	870 4	14 4 0	
735-घ	871 5	34 0 0	
732-ड	872 11	6 0 0	
718-भाग	873	1 18 0	
719	875	2 5 0	
720-क	876-मि0	0 9 0	
721	877	1 4 0	
722-ख	878 2	4 10 0	
723	879	0 18 0	
724-ग	880 3	38 1 0	
725	881	1 14 0	
726-घ	882 4	26 3 0	
727	883	0 10 0	
728	884	0 6 0	
729	885	1 0 0	
730	886	0 11 0	
731-ज	887 7	14 17 0	
737-न	889 3	5 0 0	
738	890	38 1 0	
	योग ..	1009 0 0	
		या	
		630.62 एकड़	

1	2	3	4
ग्राम--मानिकपुर		बी0वि0बि0	
553भाग	664-भाग	0 10 0	
563भाग	678-भाग	830 11 0	
567भाग	690-भाग	0 3 0	
564भाग	686-भाग	20 0 0	
	योग ..	851 4 0	
		या	
		532.00 एकड़	
ग्राम--शेखवा			
	317-मी0	4 17 0	
	318	0 19 0	
	319	2 8 0	
	320	1 1 0	
	321	12 6 0	
	322	2 0 0	
	325-मी0	35 7 0	
	329-मी0	123 2 0	
	योग ..	182 0 0	
		या	
		113.75 एकड़	
ग्राम--लतीफपुर			
		बी0 वि0बि0	
	1/397-भाग	100 12 0	
	21 1-भाग	782 4 0	
	22-भाग	1 10 0	
	24	3 11 0	
	29	0 19 0	
	30 1-भाग	77 7 0	
	304 1	450 14 0	
	314-मी0	5 14 0	
	336	1 9 0	
	337-मी0	10 12 0	
	344	1 7 0	
	345	2 6 0	
	380-मी0	120 5 0	
	383-भाग	276 7 0	
	383/395	122 10 0	
	382-मी0	199 13 0	
	योग ..	2157.0 0	
		या	
		1348.12 एकड़	

1321

97

2	3	4	1	2	3	4
...दुबई दक्षिणी	बी0 वि0 वि0				बी0 वि0 बि0	
				823	0 11 0	
965मो-0	220 2 0			824	0 5 0	
966-मो0	461 3 0			825	0 13 0	
973	5 0 0			826	4 16 0	
977-मो0	123 2 0			827-मि0	305 11 0	
980/1 भाग	700 0 0			828	0 17 0	
				829	0 8 0	
योग ..	1509 7 0 या 943.34 एकड़			योग ..	487 4 0 या 304.50 एकड़	
...लखरा			ब्लाक का सम्पूर्ण योग ..		6195 15 0 या 3872.34 एकड़ या 1567.057 हेक्टेयर	
563/1-मो0	39 2 0					
599-भाग	6 10 0					
794-भाग	4 0 0					
820-भाग	2 1 0					
821/5	122 10 0					

वन सीमाबद्ध तालिका ग्राम, ब्लाक रामपुर दुबई दक्षिणी वन ब्लाक :

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोंण — अग्रिम	पार्श्व	अगले स्तम्भ तक मापी गई दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक सीमा की दशा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	ब्लाक नं0 1						
	मु0 स्त0 1 की स्थिति--ग्राम शेरवा एवं वीरमपुर के दोहद्दे से अ0 चु0 कोण 347.00, पा0 चु0 कोण 167.0, दूरी 4.40 जरीब पर पिलर नं0 1 प्रारम्भ -						
1	ग्राम शेरवा एवं वीरमपुर की सीमा पर	उ0प0उ0	318.00	138.00	4.88	सीधी लाइन	
2	क्षेत्र सं0 508 के दक्षिणी मेंड़ पर	प0उ0प0	288.30	108.30	6.40	"	
3	"	"	293.00	113.00	6.00	"	
4	"	"	302.45	122.45	5.20	"	
5	क्षेत्र सं0 522 के दक्षिणी मेंड़ पर	"	297.45	117.45	6.50	"	
6	क्षेत्र सं0 522 के द0प0 कोंण पर	उ0प0उ0	334.00	154.00	3.20	"	
7	क्षेत्र सं0 522 के पश्चिमी मेंड़ पर	उ0पू0उ0	2.30	182.30	7.40	"	
8	"	"	42.30	222.30	6.00	"	
9	क्षेत्र सं0 538 के दक्षिणी मेंड़ पर	पू0उ0पू0	52.00	232.00	3.60	"	
10	"	प0उ0प0	313.15	133.15	7.00	"	
11	क्षेत्र सं0 538 के दक्षिणी मेंड़ पर	प0उ0प0	287.45	107.45	5.10	"	
12	क्षेत्र सं0 36 के उत्तरी मेंड़ पर	प0द0द0	261.30	81.30	2.70	"	
13	क्षेत्र सं0 541 के उ0पू0 कोंण पर	द0प0द0	207.15	27.15	4.76	"	
14	क्षेत्र सं0 541 के पूर्वी मेंड़ पर	द0	180.00	0.00	2.82	"	
15	"	द0द0उ0	210.15	30.15	2.90	"	
101	[illegible] सं0 579 के पूर्वी मेंड़ पर	द0पू0द0	146.00	326.0	4.00	"	
	सं0 736 के उ0 मेंड़ पर	द0द0द0	215.00	35.00	5.60	"	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पुवायां रेन्ज

ANNEXURE R-5

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

...0 एच–2 204 R-CN 19/आर/2025-26 रेंज केश सं0 49

... विभाग उत्तर प्रदेश ...... परिधि (सर्किल) मिर्जापुर ...... खण्ड (डिवीजन) मिर्जापुर ......

अन्य अपराध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2(ख) एवं 2(घ) ...... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं0 ...... दिनांक 04/01/2026 अधिक्षेत्र (रेंज)

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान – ए० सि० पी० टोल प्लाज़ा ग्राम केलखरा थाना अहरौरा मिर्जापुर

2. साक्षी का नाम – स्वयं

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक – ग्राम केलखरा के कम्पार्टमेंट संख्या - लतीफपुर-1 में स्थित ए० सि० पी० टोल प्लाज़ा द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना स्टोर हाउस, शेड, आफिस एवं नान-बिटुमिनस सड़क का निर्माण कर वन भूमि का अतिक्रमण किया गया एवं पर्यावरणीय क्षति पहुँचाई गई

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन – जाँच जारी है

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय,

अविनय निवेदन है कि ए. सी. पी. टोल प्लाज़ा चुनार रेंज के ग्राम केलखरा के कम्पार्टमेंट संख्या - लतीफपुर-1 में स्थित है। ए. सी. पी. टोल प्लाज़ा द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना स्टोर हाउस, शेड, आफिस एवं नान-बिटुमिनस सड़क का निर्माण कर वन भूमि का अतिक्रमण किया गया। साथ ही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा वाद सं.- 114/2024 में दिनांक 9/10/25 के पारित आदेशानुसार मा. न्यायालय द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण के कारण वृक्षों को हुई क्षति पर्यावरणीय क्षति के संबंध में दंडित वन अपराध की ओर संकेत किया गया। अन्त अनुमति क्षति का आकलन करने हेतु मा. NGT के आदेश से गठित समिति के रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण पर्यावरण को क्षति पहुँची। अतः वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु उपयोग/विनियोजन किए जाने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2(ख) एवं 2(घ) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध पंजीकृत किया जाता है।

भवदीय
संदीप कुमार यादव
वनरक्षक
04-01-2026

श्री मिथुन... निर्दे ... अग्रिम कार्यवाही ...
वृक्ष ... अनुसंधान ...
चुनार रेंज
(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
चुनार रेंज

ANNEXURE R-6

GPS Map Camera
Google
Latifpur, Uttar Pradesh, India
X2v9+gv8, Sh 5a, Latifpur, Uttar Pradesh 231301, India
Lat 24.993345° Long 83.019487°
Saturday, 11/04/2026 11:22 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Latifpur, Uttar Pradesh, India
X2v9+gv8, Sh 5a, Latifpur, Uttar Pradesh 231301, India
Lat 24.993361° Long 83.01945°
Saturday, 11/04/2026 11:23 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Latifpur, Uttar Pradesh, India
X2w9+9mh, Sh 5a, Latifpur, Uttar Pradesh 231301, India
Lat 24.992853° Long 83.021471°
Saturday, 11/04/2026 11:03 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Latifpur, Uttar Pradesh, India
X2v9+gv8, Sh 5a, Latifpur, Uttar Pradesh 231301, India
Lat 24.993357° Long 83.019494°
Saturday, 11/04/2026 11:22 AM GMT +05:30

ANNEXURE R-7

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक जी-167/15-1(सीलिंग दर), दिनांक, लखनऊ, नवम्बर, 21,2025.

कार्यालय आदेश

वानिकी कार्यों से सम्बंधित इस कार्यालय के पत्रांक जी-78/15-1(सीलिंग दर), दिनांक 29-09-2023 द्वारा वृक्षारोपण की सीलिंग दर उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, की अधिसूचना संख्या-02/2023/905/36-03-2023-01(अधि0)/2005, दिनांक 26-05-2023 द्वारा श्रमिकों की मजदूरी ₹230/- प्रति मानव दिवस के आधार पर निर्धारित की गयी थी।

उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, की अधिसूचना संख्या-02/2024/707/36-03-2024-1619905, दिनांक 09-07-2024 द्वारा श्रमिकों की मजदूरी ₹237/- प्रति मानव दिवस निर्धारित की गयी है। अतः सीलिंग दरों के श्रमांश में तद्नुसार वृद्धि करते हुए नई सीलिंग दरें पुनरीक्षित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क0 सं0	वृक्षारोपण का प्रकार	प्रति हे0 पौध सं0	चरणवर धनराशि का विवरण (धनराशि ₹ में)				योग
			प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम)	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामान्य भूमि	1600	44500.00	41700.00	24500.00	8900.00	119600.00
2	ऊसर भूमि	2500	74800.00	69500.00	27600.00	6900.00	178800.00
3	बीहड़ भूमि	1600	52800.00	30300.00	22400.00	8700.00	114200.00
4	पठारी भूमि	1600	56100.00	27400.00	21900.00	8700.00	114100.00

1-रोपण में क्षेत्र विशेष के कृषि-जलवायु के अनुरूप उपयुक्त प्रजातियों का चयन करते हुए स्वस्थ पौधों का ही रोपण किया जाय तथा रोपण के समय पौधों की ऊंचाई मानक के अनुरूप रखी जाय।

2-वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु सामान्य, ऊसर व बीहड़ भूमि के प्रथम चरण में सुरक्षा खाई तथा पठारी भूमि में पत्थरवाड़ी का कार्य सम्मलिति है।

3-ऊसर भूमि में वृक्षारोपण की दरों में प्रथम चरण में बोरिंग कार्य (10 हे0 पर 1 बोरिंग) व सिंचाई हेतु प्लास्टिक पाइप क्रय एवं जिप्सम तथा द्वितीय चरण में गोबर की खाद व बालू सम्मिलित है।

4-बीहड़ भूमि की दरों में भूमि संरक्षण का कार्य प्रथम चरण में सम्मिलित है।

5-तृतीय चरण में 10 प्रतिशत वीटिंग अप का कार्य सम्मिलित है।

6-सीलिंग दरों में पौध उगान व अनुरक्षण का व्यय सम्मिलित है।

7-वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन सरंक्षकों को अपने वृत्त के अन्तर्गत अनुसूचित दरों के निर्धारित अनुसूचित दरों का निर्धारण कर उपरोक्त दरों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित सीलिंग सीमा के अन्तर्गत, जो दर कम हो, उसी के अनुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय करने की कार्यवाही की जाय।

8-किसी विशेष योजना में प्रतिवन्ध के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में यान्त्रिकीय विधि से कार्य इन्हीं सीलिंग दरों में कराया जा सकता है।

9-उक्त सीलिंग दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।